Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By 100% deputation	**Deputation** Officers from Central Police Organisations or State Police Organisations or Union territory Police Organisations holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding 40 years, as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable

[F. No. AV-13029/001/2009-AS.]

SATISH CHANDER, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 138(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (डिस्पैच राइडर) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2007 और अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में डिस्पैच राइडर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो , डिस्पेच राइडर, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं .

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं आदि –भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु –सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिस्पैच राइडर	23* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर- 2	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता .

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती का पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय पुलिस संगठनों या दिल्ली पुलिस या राज्य सरकार पुलिस में से जो मोटर साइकिल या

				तिपहिया के लिए चालन अनुज्ञप्ति विधिमान्य रखते हों । टिप्पण :-1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।. 2. प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण:- केन्द्रीय सरकार के अधीन राज्य सरकार की ऐसी नियुक्ति डी.ओ.पी.टी. का. आ. 13/02/99 स्थापन- (वेतन-I) तारीख 18/06/2001 निबंधन में नियत की जायेगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. वी.-13029/001/2009- ए. एस.]

सतीश चन्द्र, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017

G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security (Despatch Rider) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Despatch Rider, in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Despatch Rider, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **The number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post(s)	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Despatch Rider	23*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service,Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By 100% Deputation	**Deputation** :From amongst Police Constables from Central Police Organisations or Delhi Police or State Government Police possessing valid driving license for Motor cycle or three wheeler scooter. **Note: 1** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note: 2** The maximum age limit for appointment on deputation basis shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of the application.	Not applicable	Not applicable.

		Note: On such appointment of State Government employees under the Central Government, their pay shall be fixed in terms of DOP&T O.M. No. 13/2/99-Estt.(Pay-I) dated 18.6.2001		

[F. No. AV-13029/001/2009-A.S.]

SATISH CHANDER, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 139(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी-I, श्रेणी-II और साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2001 को आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए, जहाँ तक स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) के पद से सम्बंधित हैं; उन बातों के सिवाय, अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मत्रालय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4- **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु –सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	06 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर2 -	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती का पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय पुलिस संगठनों या दिल्ली पुलिस या राज्य सरकार पुलिस में से जो मोटर साइकिल या तिपहिया के लिए चालन अनुज्ञप्ति विधिमान्य रखते हो । **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : केन्द्रीय सरकार के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारी ऐसी नियुक्ति पर उनका वेतन डी.ओ.पी.टी. का.आ. 13/02/99 स्थापन- (वेतन-I) तारीख 18/06/2001 निबंधन में नियत की जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.वी.-13029/001/2009- ए. एस.]

सतीश चन्द्र, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Bureau of Civil Aviation Security, (Ministry of Civil Aviation) Staff Car Drivers (Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the post of Staff Car Drivers (Ordinary Grade) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Group 'C' post, Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called theMinistry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Group 'C' in the Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **The number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post(s)	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	6* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By 100% deputation.	**Deputation:-**From amongst Police Constables in Level 2 in the Pay Matrix from Central Police Organisations or Delhi Police or State Government Police possessing valid driving license for motor vehicles. **Note: 1** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisationordepartment of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note: 2** The maximum age limit for appointment on deputation basis shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of the application.	Not applicable	Not applicable.

		Note: On such appointment of State Government employees under the Central Government, their pay shall be fixed in terms of DOP & T O.M. No. 13/2/99-Estt.(Pay-I) dated 18.6.2001		

[F. No. AV-13029/001/2009-A.S.]

SATISH CHANDER, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.21 12:31:32 +05'30'